भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 195
उत्तर देने की तारीख 06 दिसम्बर, 2013

ट्राई को और अधिक अधिकार दिया जाना

195. श्री सी.एम. रमेश :

क्या संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण (ट्राई) को दीवानी न्यायालय के रूप में कार्यक्षम बनाने के लिए और शक्तियां देने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कदम उठाये जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा)

(क) और (ख) : ट्राई अधिनियम, 1997 में 'ट्राई' की शक्तियों का उल्लेख है। ट्राई अधिनियम की धारा 12 और 13 के अनुसार ट्राई को यह शक्ति प्राप्त है कि ट्राई सूचना मंगवा सकता है, जांच कर सकता है और अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी सेवा प्रदाता के कार्यों के संबंध में निदेश जारी कर सकता है जिसमें ऐसे सेवा प्रदाता की लेखा-बहियां अथवा अन्य कागजातों की जांच भी शामिल है। सरकार के पास ट्राई अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

*****